Release of Polluted Water in Ghaggar River

***366. Sh. Lakshman Napa, M.L.A.:** Will the Environment Minister be pleased to state:-

a) Whether it is a fact that contaminated water of factories is released in the Ghaggar river due to which Hepatitis C and Hepatitis B etc. disease has been spreading in Ratia Assembly Constituency; and

b) If so, the action taken by the Government to check the release of contaminate water in Ghaggar river?

Sh. Manohar Lal Khattar, Chief Minister

Sir, a statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to the Assembly Question No. *366 by Sh. Lakshman Napa, M.L.A. regarding release of polluted water in Ghaggar river.

Sir, Hepatitis-B, Hepatitis-C and Hepatitis-D are not spread through contaminated water. But Hepatitis-A & Hepatitis-E are transmitted through faecal-oral route principally via contaminated water. 5 cases of Hepatitis-A were observed in year 2018 and 6 cases in year 2019 in Ratia block. No outbreak of disease has been reported in vicinity of River Ghaggar in Ratia.

The States of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab and U.T. of Chandigarh have prepared an Action Plan for control of Pollution in river Ghaggar and various actions are being implemented to make river Ghaggar pollution free.

State government has constituted State Level Special Task Force headed by Chief Secretary and District Level Task Forces headed by concerned Deputy Commissioners for districts falling in catchment of River Ghaggar to ensure implementation of action plan.

Industrial units are being inspected regularly and penal action such as closure and prosecution is taken for all violations. New Sewage Treatment Plants & Common Effluent Treatment Plants are being installed. Finally, Sewage network is being laid in towns or cities in the catchment of river Ghaggar.

घग्गर नदी में प्रदूषित जल छोड़ना

***366. श्री लक्ष्मण नापा, विधायकः**– क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः –

क) क्या यह सत्य है कि कारखानों का दूषित पानी घग्गर नदी में छोड़ा जाता है जिसके कारण हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी आदि रोग रतिया विधानसभा क्षेत्र में फैल रहे हैं; तथा

ख) यदि ऐसा है, तो सरकार द्वारा घग्गर नदी में दूषित जल छोड़ने की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री

महोदय, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

घग्गर नदी में प्रदूषित जल छोड़ने के बारे में श्री लक्ष्मण नापा, विधायक द्वारा पूछे गए विधानसभा प्रश्न संख्या *366 के उत्तर के संबंध में कथन।

श्रीमान जी, हेपेटाइटिस–बी, हेपेटाइटिस–सी और हेपेटाइटिस–डी दूषित जल के द्वारा नही फैलते है। लेकिन हेपेटाइटिस–ए और हेपेटाइटिस–ई मानव मल व मुख से मुख्यतः दूषित जल के माध्यम से प्रसारित होते है। रतिया ब्लॉक में वर्ष 2018 में हेपेटाइटिस–ए के 5 मामले और वर्ष 2019 में 6 मामले पाए गए थे । रतिया में घग्गर नदी के आसपास बीमारी का कोई प्रकोप नहीं पाया गया है।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा यू.टी. चंडीगढ़ के राज्यों ने घग्गर नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है तथा घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां की जा रही हैं।

राज्य सरकार ने कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य स्तरीय और जिलाधीश के नेतृत्व में जिला स्तरीय कार्य बलों का गठन किया है।

औद्योगिक इकाइयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है तथा सभी उल्लघनों के लिए दण्डिक कार्यवाही की जाती है जैसे कि उद्योग को बन्द करना तथा न्यायालय में अभियोजन चलाना। नए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट व कॉमन एफल्यूऐंट ट्रीटमेन्ट प्लांट लगाए जा रहे हैं। अंततः घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले कस्बों व शहरों में सीवेज नेटवर्क डाला जा रहा है।

घग्गर नदी में प्रदूषित जल छोड़ने के बारे में श्री लक्ष्मण नापा, विधायक द्वारा पूछे गए विधानसभा प्रश्न संख्या *366 के उत्तर के संबंध में कथन।

पैड के लिए नोट

वायरल हेपेटाइटिसः

वैष्विक तौर पर वायरल हेपेटाइटिस जन स्वास्थ्य की व्यापक समस्या के रूप में मान्य है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस के परिणाम से शीघ्र या चिरकालिक संक्रमण हो सकता है। जबकि हेपेटाइटिस ए और ई अक्सर हेपेटाइटिस के छिटपुट या प्रकोप का कारण है, हेपेटाइटिस बी और सी या तो स्वय ठीक हो सकता है या इस से चिरकालिक संक्रमण हो सकता है तथा उसके बाद सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी) हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वायरस (एचएवी) व हेपेटाइटिस ई वायरस (एचईवी) घोर वायरल हेपेटाइटिस और घोर लिवर फेलर (एएलएफ) के महत्वपूर्ण कारण हैं। डेटा की कमी के कारण, देश में बिमारी की वास्तविक व्यापकता स्थापित नहीं की गयी है। हालांकि, उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह कह सकते है कि भारत देश में एचएवी घोर हेपेटाइटिस के 10–30 प्रतिशत के लिए और 5–15 प्रतिशत लिवर फेलर के मामलों के लिए जिम्मेदार है। आगे बताया जाता है कि एचईवी घोर हेपेटाइटिस के 10–40 प्रतिशत के लिए और 15–45 प्रतिशत लिवर फेलर के मामलों के लिए जिम्मेदार है।

प्रसारण

हेपेटाइटिस बी, सी व डी रोग संक्रमित रक्त और संचरण रक्त उपज, यौन सम्बन्ध, थूक के द्वारा तथा मां से बच्चे जो कि गर्भ में है, के माध्यम से फैल सकता है।

लेकिन हेपेटाइटिस–ए और हेपेटाइटिस–ई मानव मल व मुख से मुख्यतः दूषित जल के माध्यम से प्रसारित होते है।

राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम

यह कार्यक्रम जुलाई, 2018 में शुरू किया गया था और सभी 22 जिले को कार्यक्रम में कवर कर लिया गया हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस का सामना करना और हेपेटाइटिस सी का निवारण करना, संक्रमित आबादी में महत्वपूर्ण कमी, हेपेटाइटिस ए, बी सी और ई जैसे कि सिरोसिस और हेपाटो–सेलुलर कार्सिनोमा (लिवर कैंसर) से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में निम्नलिखित गतिविधियाँ की जा रही हैं:

1. बचाव

- सुरक्षित सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता के संबंध में आम जनता में जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना।
- सभी नवजात और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीकाकरण।
- सभी ब्लड बैंकों में रक्त जांच सुविधाऐ स्थापित करते हुए रक्त सुरक्षा।

2. निदान और उपचार

- सभी 22 जिला नागरिक अस्पतालों व पीजीआई, रोहतक में मुफ्त जांच, निदान और उपचार उपलब्ध है।
- राज्य की सभी जेलों में सभी जेल कैदियों की मुफ्त जांच, निदान और उपचार करना।
- सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हेपेटाइटिस बी के लिए गर्भवती महिलाओं की जांच करना।

रतिया में हेपेटाइटिस वायरल के मामलेः

रतिया में हेपेटाइटिस बी व सी और अन्य बीमारियों का कोई प्रकोप नहीं हुआ है। रतिया के विभिन्न गांवों / नगर से वर्ष 2018 में बताए गए हेपेटाइटिस ए के 5 मामले और 2019 में 6 मामले पाए गए थे और ये पाइपों में रिसाव के कारण पानी के प्रदूषित होने से हुए थे (मामलों का ब्यौरा **अनुबन्ध –1** पर संलग्न)। रतिया में घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में बीमारियों का प्रकोप नहीं बताया गया है।

स्वास्थ्य शिविरः

जिला फतेहाबाद में घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्ष 2019 में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन किए गए थे। गाँवों और नगर क्षेत्रों में कुल 29 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में पहचान किए गए इस बिमारी के विशेष रोगियों का ब्यौरा **अनुबन्ध –2** के रूप में संलग्न है ।

घग्गर नदी

घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आरम्भ होती है और यह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य से होकर 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हरियाणा के क्षेत्र में कालका के पास पंचकुला जिले में प्रवेश करती है। यह जिला पंचकूला से होकर पंजाब के मोहाली से गुजरती है, फिर दोबारा यह अंबाला में प्रवेश करती है और फिर

दोबारा पंजाब में जिला पटियाला में प्रवेश करती है। यह दोबारा हरियाणा में जिला कैथल में प्रवेश करती है तथा फिर जिला संगरूर को पार करती है। यह फिर दोबारा जिला फतेहाबाद में प्रवेश करती है और मानसा जिले को पार करती है तथा पुनः हरियाणा में जिला सिरसा में प्रवेश करती है और अंत में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है।

घग्गर नदी में प्रदूषण के मुख्य स्रोत

घग्गर नदी तथा नदी में गिरने वाले प्रमुख नालों की विभिन्न स्थानों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) का स्तर कई स्थानों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है और नदी घुलनशील ऑक्सीजन (डीओ) के स्तर में उतार–चढ़ाव दिखाती है, जिसका स्तर जीरो से अधिकतम होता है जिससे ज्ञात होता है कि नदी के अन्दर जैविक प्रदूषण भार की उपस्थिति तथा यूट्रोफिक स्थिति की व्यापकता है। नदी की गुणवत्ता सेक्टर –28, पंचकूला में एसटीपी से उपचारित बहिःस्राव के घुलने के बाद कम होने लगती है और ये सुखना चौ के घग्गर में मिलने से पहले तक 10–20 एम0जी0 की रेंज में है। इसके बाद, हरियाणा और पंजाब राज्य की सीमा में बहते हुए नदी की जल गुणवत्ता इसकी सम्पूर्ण लंबाई में बुरी तरह से प्रदूषित रहती है। नदी सागर पैरा ड्रेन (सरस्वती ड्रेन) से निकलने वाले बहिःस्राव से अत्याधिक प्रदूषित होती है और बी0आ0डी0 मान लगभग 60–100 मिलीग्राम की सीमा में होता है।

हरियाणा में घग्गर नदी के प्रमुख नाले

हरियाणा राज्य में घग्गर नदी में गिरने वालों में 11 प्रमुख नाले अथार्त सुखना नाला, जट्टन वाला नाला, एसटीपी पंचकूला, एमडीसी ड्रेन, सुखना चौ, अंबाला ड्रेन, घेल नाला, मारकंडा नदी, सागरपारा (सरस्वती) नाला, कैथल ड्रेन और रतिया ड्रेन हैं। सभी नालों के पानी की गुणवत्ता की एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। सभी नालों के बहिःस्राव में बीओडी मान वांछित सीमा से अधिक है। हरियाणा की अत्याधिक प्रदूषित नाला सागर पारा ड्रेन (सरस्वती ड्रेन) है और इसका बहिःस्राव में बीओडी मान 100 एम0जी0 /लीटर से अधिक है।

ओ ए नम्बर 138/16–स्ट्रेंन्च ग्रिप मनसा सेक्रेड घग्गर नदी (स्व प्रेरणा से मामला) के मामले में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और जिला स्तरीय विशेष कार्य बल (डीएसटीएफ) का गठन

ओ ए नम्बर 138/16–स्ट्रेंन्च ग्रिप मनसा सेक्रेड घग्गर नदी (स्व प्रेरणा से केस) घग्गर नदी में प्रदूषण की समस्या को लेकर माननीय एनजीटी के समक्ष लंबित है। एक कार्यकारी समिति निम्नलिखित को मिलाकर माननीय एनजीटी द्वारा बनाई गई हैः–

1. न्यायमूर्ति प्रीतम पाल, पूर्व न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय– अध्यक्ष।

2. डॉ0 विमल के0 हटवाल, संयुक्त निदेशक, एम0ओ0ई0एफ0, चंडीगढ़– सदस्य।

3. श्री जे0 चंद्रबाबू, वैज्ञानिक–डी, सीपीसीबी, दिल्ली– सदस्य।

दिनांक 07.08.2018 के आदेश की पालना में राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 29.08.2018 द्वारा निम्नलिखित को मिला राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल और जिला स्तरीय विशेष कार्य बल गठित किया हैं: –

राज्य स्तरीय एस.टी.एफ.

1. मुख्य सचिव

2. प्रशासनिक सचिव, पर्यावरण विभाग

3. प्रशासनिक सचिव, नगर और देश नियोजन विभाग

4. प्रशासनिक सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग

जिला स्तरीय एस.टी.एफ.

1. संबंधित जिले का उपायुक्त

2. संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक

3. संबंधित जिले का क्षेत्रीय अधिकारी, एचएसपीसीबी

4. संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश का प्रतिनिधि

जिला स्तरीय कार्य बल को राज्य स्तरीय एसटीएफ को मासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है और राज्य स्तर की एसटीएफ को कार्यकारी समिति व सीपीसीबी समुख त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। कार्यकारी समिति पाक्षिक अधार पर प्रगति की निगरानी करती है।

घग्गर नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्य योजना

राज्य ने घग्गर नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार की है और घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्य लागू किए जा रहे हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

1. घग्गर नदी के कैचमेंट में शहरों में सीवेज का अनुमान और उपचार क्षमता में अंतर को भरने के लिए एक योजना तैयार करना।

2. एसटीपी की स्थापना करना,

3. सीईटीपी की स्थापना करना,

4. उद्योगों की नियमित रूप से निगरानी करना,

5. अवैध उद्योगों के खिलाफ बंद करने की कार्यवाही करना,,

6. शहरों में नालियों का कीचड़ निकालना तथा गाद मुक्त करना।

7. अननुमोदित कॉलोनियों के बिना सीवर वाले क्षेत्र में मलजल निकास को रोकना।

8. सीवेज नेटवर्क का बिछाना,

9. उद्योगों व एसटीपी की निगरानी हेतू ऑनलाइन यंन्त्र लगवाना।

कार्य योजना का उद्देश्य

कार्य योजना का उद्देश्य / लक्ष्य यह है कि नदी जल का गुण नीचे दिए गए अनुसार आपेक्षित मान से मिलना चाहिएः

गुणवत्ता पैरामीटर	प्राप्त किए जाने वाले मानक
बीओडी	3.0 मिलीग्राम ।
विघटित ऑक्सीजन डीओ)	5.0 मिलीग्राम /लीटर से अधिक
फेकल कोलीफॉर्म	500 एमपीएन/100 एम एल से कम

मलजल का अनुपान तथा घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में मलजल उपचार संयंत्रों की कार्य योजना ।

पीएचईडी, एचएसवीपी और यूएलबीडी द्वारा एस0टी0पी0 लगाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। घग्गर के जलग्रहण क्षेत्र में 27 कस्बें आते हैं जिनमें कि लगभग 300 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है। इन कस्बों में 512 एमएलडी के एस0टी0पी0 मौजूद है। इसके अलावा, 49 एमएलडी क्षमता के एसटीपी निर्माणाधीन हैं, जबकि 62 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्रस्तावित है। हालाँकि अम्बाला ही केवल एक नगर है जिसमें में 16 एमएलडी के निकट उपचार क्षमता में अंतर है। इसलिए अम्बाला में 29 एमएलडी उपचार क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है और यह कार्य दिनांक 30.06.2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

सीईटीपी के लिए कार्य योजना

पंचकूला, अम्बाला और साहा में 6.1 एमएलडी की क्षमता के 4 सी0ई0टी0पी0 घग्गर नदी के साथ शहरों में परिचलन में हैं और 3 एमएलडी के 2 सी0ई0टी0पी0 जींद और सिरसा में प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक प्रवाह प्रबंधन

औद्योगिक प्रदूषण सहमति प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एच0एस0पी0सी0बी0 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उद्योग निर्धारित प्रपत्र में सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। वे उत्पन्न होने वाले बहिःस्राव तथा बहिःस्राव उपचार संयत्र के विवरण और (ई0टी0पी0) की क्षमता के ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं। उद्योग या तो औद्योगिक क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर स्थापित किए जाते हैं। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रो मे उद्योगों (व्यापारिक. घरेलू) से उत्पन्न बहिःस्राव के उपचार के लिए सीईटीपी लगे हुए हैं। सभी उद्योगों ने अपने कैपटिव बहिःस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं और औद्योगिक बहिःस्रावो के उपचार में कोई अंतर नहीं है। घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में औद्योगिक डिस्चार्ज करने वाली 262 इकाइयां हैं। इन इकाइयों ने अपना ईटीपी स्थापित किया है और डिस्चार्ज करने से पहले उसका उपचार कर रहे हैं।

एसटीएफ द्वारा उद्योगों की नियमित निगरानी और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही

दिनांक 29–8–2018 के आदेशानुसार, राज्य सरकार ने पहले ही जिला स्तर पर विशेष कार्य बल स्थापित किया है जिसमें सम्बन्धित जिले का उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एच0एस0पी0सी0बी0 के क्षेत्रीय अधिकारी तथा जिला न्यायाधीश का नामंकित व्यक्ति सदस्य होते है। एसटीएफ ने नदियों में प्रदूषण से संबंधित कानून और मानकों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और प्रदूषण के स्रोतों का औचक निरीक्षण करना होता है । उद्योगों का निरीक्षण किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। एच0एस0पी0सी0बी0 ने घग्गर क्षेत्र में पड़ने वाली 17 जल प्रदूषण करने वाली इकाइयों को बंद कर दिया है और 39 इकाइयों के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही शुरू कर दी है। इकाइयों का विस्तार **अनुबन्ध 3** तथा 4 में दिए गए है।

अवैध उद्योगों के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई

एचएसपीसीबी नियमित रूप से बोर्ड की सहमति के बिना चल रह अवैध उद्योगों की नियमित रूप से पहचान कर रहा है। ऐसे अवैध उद्योगों के खिलाफ बन्दी आदेश जारी किए जाते हैं तथा उनके बिजली कनेक्शन काटे जाते है। यह गतिविधि चल रही है तथा ऐसे और अधिक उद्योगों को जब भी एचएसपीसीबी द्वारा पहचाना जाएगा बंद किया जाएगा।

शहरों में नालियों की ड्रेजिंग और डी–सिल्टिंग

माननीय एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और सिंचाई विभाग नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नालियों की गाद निकालने तथा मरम्मत करने का काय कर रहे है। तथा इसके अनुपालन के ब्यौरे को मुख्य सचिव द्वारा राज्य स्तर पर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अनियमित कालोनियों के अन–सीवरड क्षेत्र में सीवेज का अवरोधन

अधिकांश नगरों में बहुत सें अनियमित क्षेत्र हैं जहां मलजन का निकास होता है। नाली / नदी में इसके प्रवाह से पहले उसी के निकास को रोकना और उसका उपचार करने का कार्य करने के लिए, यू0एल0बी0डी0 को समयबद्ध योजना प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था और उसने हरियाणा के शहरों के लिए विशेष समय सीमा के साथ योजना तैयार की है।

घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों का संगठन (जनवरी–दिसंबर, 2019)

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सोसाइटियों के सहयोग से घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में हर महीने स्वास्थय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2019 में कुल 126 शिविरों का आयोजन किया गया है और इन स्वास्थ्य शिविरों में 8397 रोगियों की जाँच की गई है। घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविरों का विवरण निम्नानुसार हैः –

कम संख्या	जिलों का नाम	जिले में आयोजित कैम्पों को संख्या (जनवरी–दिसंबर, 2019)	जांचे गए रोगियों की संख्या
1	अंबाला	20	1677
2	फतेहाबाद	29	1898
3	कैथल	49	2137
4	पंचकुला	12	1708
5	सिरसा	12	977
कुल		126	8397

Detail of cases of Hepatitis-A in Civil Hospital Ratia Block

1. **In Civil Hospital Ratia Block Hep-A, only 5 cases were the reported in 2018 nearby villages for Ghaggar river. Details is here by below:-**

OPD No.	Date	Name of Patient	Village	Billirubin
28206	16-05-2018	Gursevak S/o Meva Ram 13/M	Mirana	2.3 mg
39869	23-07-2018	Shubham S/o Raju, 42/M	Nangal	4.2 mg
30481	28-05-2018	Preet Kaur W/o Gurdat Singh 19/F	Kamana	1.8 mg
44965	20-08-2018	Satnam Singh S/o Mahender Singh, 42/M	Nangal	2.4 mg
50992	18-09-2018	Sonu D/o Buta Singh, 10/F	Ratia	2.4 mg

2. **In Civil Hospital Ratia Block Hep-A, only 6 cases were the reported in 2019 nearby villages of Ghaggar river, Delhi is here by below:-**

OPD No.	Date	Name of Patient	Village	Billirubin
515	03-01-2019	Jagsir Singh S/o Labna, 27/M	Ratia	2.2 mg
18637	10-04-2019	Karamveer S/o Satguru Singh, 13/M	Ratia-8	3.0 mg
21841	27-04-2019	Tarsem S/o Lal Ram, 50/M	Mehmra	1.4 mg
24204	10-05-2019	Baljinder S/o Preetam, 30/M	Ratia	2.7 mg
24976	14-05-2019	Sardul S/o Raju, 18/M	Badalgarh	4.2 mg
54122	30-10-2019	Nand Lal S/o Dharam Chand, 45/M	Ratia	1.2 mg

अनुबन्ध 2

Health camps in catchment areas of River Ghaggar (District Fatehabad) Year- 2019.

Sr. No.	Date of camp	Name of Village	Skin diseases	Gastrointestinal	Respiratory	Cardiac/ HTN	Diabetes	Osteoarthritis	Kidney diseases	Gyane	Cancer	Other	Total
1	10.01.2019	Miraina	9	5	18	2	3	0	0	2	0	42	81
2	17.01.2019	Kasampur	5	10	5	2	0	4	0	0	0	5	31
3	12.02.2019	Kanwalgarh	29	0	1	0	1	7	0	1	0	13	52
4	21.02.2019	Kalotha	20	3	11	4	8	13	0	0	0	7	66
5	28.02.2019	Narail	5	4	12	2	4	6	0	1	0	3	37
6	14.03.2019	Lali	12	1	2	0	2	8	0	0	0	34	59
7	22.03.2019	Mussakhera	6	3	8	5	5	4	0	2	0	18	51
8	03.04.2019	Talwari	18	15	45	13	11	22	3	13	1	35	176
9	03.04.2019	Kamana	9	10	1	0	0	7	0	0	0	14	41
10	04.04.2019	Babanpur	8	18	3	9	20	4	0	0	0	50	112
11	13.05.2019	Luthera	12	17	3	1	16	0	0	0	0	21	70
12	23.05.2019	Kaka Singh Dhani	7	14	7	0	2	21	0	0	0	7	58
13	11.06.2019	Plot Buta Ram	2	13	3	3	7	0	0	0	0	15	43
14	14.06.2019	Babanpur Dhani	4	9	2	3	15	0	0	0	0	21	54
15	10.07.2019	Lalwas	5	20	7	4	7	0	0	0	0	11	54
16	20.07.2019	Talwara	15	5	20	0	10	0	0	20	0	12	82
17	17.08.2019	Alika	8	18	8	20	15	0	0	0	0	23	92
18	20.08.2019	Sadhanwas	10	10	12	9	2	23	3	21	0	24	114
19	10.09.2019	B.B.Talwari	32	10	22	1	6	16	0	6	0	8	101
20	19.09.2019	Khairpur	10	7	5	0	9	0	0	0	0	22	53
21	22.10.2019	Malwala	6	4	9	0	5	0	0	0	0	19	43
22	11.11.2019	Ward No. 1, Ratia	4	9	19	3	5	0	0	0	0	23	63
23	14.11.2019	Ward No. 3, Ratia	0	21	35	2	4	0	0	0	0	4	66
24	15.11.2019	Ward No. 2, Ratia	8	1	25	0	3	3	0	0	0	13	53

Sr. No.	Date of camp	Name of Village	Skin diseases	Gastrointestinal	Respiratory	Cardiac/ HTN	Diabetes	Osteoarthritis	Kidney diseases	Gyane	Cancer	Other	Total
25	25.11.2019	Ward No. 6, Ratia	5	6	13	2	8	0	0	0	0	20	54
26	29.11.2019	Ward No. 5, Ratia	10	3	14	0	1	5	0	0	0	19	52
27	16.12.2019	Ward No. 8, Ratia	6	3	7	0	1	13	0	0	0	17	47
28	19.12.2019	Ward No. 9, Ratia	7	4	2	0	1	8	0	0	0	27	49
29	27.12.2019	Ward No. 7, Ratia	3	8	6	2	5	0	0	0	0	20	44
Total			**275**	**251**	**325**	**87**	**176**	**164**	**6**	**66**	**1**	**547**	**1898**

List of Industries closed by Board (since 01.08.2018) having discharge into river Ghaggar

Sr. No.	Name of unit	Date of Closure
1.	Motel Golden Saras, G.T Road, VPO Masana, Kuruskehtra	31.01.2019
2.	Shiv Misthan Bhandar, Plot No. 292, Ph-I, Panchkula.	18.07.2019
3.	Kapoor Electroplating Works, Old Alu Godam, Ambala Cantt.	27.06.2019
4.	Rehmat Electrotech Engineer, 156, Ph-1, Ind. Area, Panchkula.	5.07.2019
5	SV Screening Plant, Vill. Manaktabra, Distt. Panchkula.	26.12.2019
6	Shree Balaji Screening Plant, Trilokpur Road, Raipur Rani, Distt. Panchkula.	15.01.2020
7	National Screening Plant, Trilokpur Road, Vill. Manak Tabra, Distt. Panchkula.	15.01.2020
8	Maa Durga Screening Plant, Trilokpur Road, Vill. Raipur Rani, Distt. Panchkula.	15.01.2020
9	Shree Ganesh Screening Plant, Trilokpur Road, Raipur Rani, Distt. Panchkula.	15.01.2020
10	Shiv Shakti Washing Plant, Vill. Raipur Rani, Distt. Panchkula.	15.01.2020
11	Vaishnavi Screening Plant, Vill. Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.01.2020
12	Bajrang Screening Plant, Vill. Raipur Rani, Distt. Panchkula	15.01.2020
13	Krishna Screening Plant, Vill. Raipur Rani, Panchkula.	15.01.2020
14	Suraj Screening Plant, Vill. Raipur Rani, Panchkula.	15.01.2020
15	Saraswati Screening Plant, Vill. Raipur Rani, Panchkula.	15.01.2020
16	Samlashan Screening Plant, Trilokpur Road, Raipur Rani, Distt. Panchkula.	15.01.2020
17	Aggarwal Screening Plant, Vill. Raipur Rani, District Panchkula.	03.02.2020

अनुबन्ध 4

List of units where prosecution has been filed against violators in Environment Court

Sr. No.	Name & Address of the unit	Date of Filing Prosecution
1	Ultimate Automobiles Pvt. Ltd, Plot No. 355, Indl-Area, Ph-II, Panchkula	31.01.2019
2	Essen Connectors Pvt. Ltd,. 23-24, PH-I, INDL-AREA, Panchkula	25.02.2019
3	Coatings & Chemicals, 113, Inds-Area, Ambala Cantt	13.03.2019
4	Automobia India, Plot No. 297, Ind. Area,Phase-II, Panchkula.	02.04.2019
5	Vishal Dairy, Plot No. 441, Industrial Area, Phase-I, Panchkula	10.04.2019
6	Parkash Electroplating Works, 3376-77, Kacha Bazaar, Ambala Cantt	14.05.2019
7	Kapoor Electroplating Works, Old Alu Godam, Ambala Cantt.	25.04.2019
8	Chopra Electroplating Works, Vikaspuri Industrial Area, Ambala Cantt.	---
9	Nishat Papers Pvt. Ltd.,Urnai Road, Vill Sainsa, Pehowa,Kurukshetra.	25.06.2019
10	Shiv Paper Board Mill, Umari Road, Dhanirampura, Pehowa, Kurukshetra.	25.06.2019
11	Kailash Paper Board Mill, Arunai Road, Saraswati Khera, Pehowa, Kurukshetra	25.06.2019
12	Salasar Washing plant , Villege Dera, Nararingarh, ,Ambala	14.05.2019
13	Choudhary Screening Plant, Dera Muja,Tapriya Narain garh,Ambala	11.06.2019
14	Haryana Screening Plant, Vill. Dera, Tehsil Naraingarh, Ambala	---
15	Maa Bala Sundree Screening Plant, Vill:- Dera, Tehsil Naraingarh, Ambala	14.05.2019
16	Shri Shri Kartaar Screening Plant, Vill. Dera, Tehsil Naraingarh, Ambala	18.07.2019
17	Jai Maa Bala Sundri Screening Plant Vill. Dera Naraingarh, Ambala	18.06.2019
18	Mahamaya Bala Sundri Screening Plant Village Dera, Tehsil Naraingarh, District –Ambala	---
19	Warmika Pharmaceutical Pvt. Ltd, Plot No. 318, HSIIDC, Saha, Ambala	18.06.2019
20	Sangrani Screening Plant (Unit-II), Vill-Sangrani, Tehsil-Naraingarh, Ambala	28.11.2018
21	Balbir Screening Plant (Unit-1), Village-Miyanpur, Tehsil-Naraingarh, Ambala	28.11.2018
22	Balbir Screening Plant (Unit-II), Village-Miyanpur, Tehsil-Naraingarh, Ambala	28.11.2018
23	Neelkanth Screening Plant, Village-Miyanpur, Tehsil-Naraingarh, Ambala	28.11.2018

Sr. No.	Name & Address of the unit	Date of Filing Prosecution
24	Sangam Screening Plant, Village-Sangrani, Tehsil-Naraingarh, Ambala	28.11.2018
25	R.R Screening Plant, Unit-1, Village-Rao Majra, Tehsil-Naraingarh, Ambala	28.11.2018
26	S.R Food, Kurukshetra Road, Jhansa, District-Kurukshetra.	10.06.2019
27	Sainsons Paper Indus. Ltd., Plot No. 5, Vill Bakhli, Pehowa, Kurukshetra.	27.06.2019
28	Parbhat Hotels Pvt. Ltd., Site No. 4, Sector 10, Panchkula	02.07.2019
29	Autopace Network Ltd., Plot No. 5, IA, Ph-1, Panchkula	13.08.2019
30	Jaggi Construction Pvt. Ltd., (Jaggi City Centre), Sena Nagar, Model Town Crossing, Ambala City.	11.12.2019
31	Divine Vision Intraestate Pvt. Ltd., Opp-New Bus Stand, Pipli Road, Kurukshetra.	11.12.2019
32	Durga Screening Plant, VPO Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020
33	Shree Ram Screening Plant, VPO Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020
34	Punia Screening Plant, Village Raipur Rani, District Panchkula.	27.2.2020
35	Shri Krishna Screening Plant, VPO Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020
36	Ganga Screening Plant, Village Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020
37	Chandigarh Screening Plant, Vill. & Tehsil Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020
38	Dashmesh Screening Plant, Vill. Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020
39	Raja Screening Plant, Vill. Manak Tabra, Raipur Rani, Distt. Panchkula.	27.2.2020